सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:— 99/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :— 14.06.2023

GCMS ID—2023/208

1. रामसिंह प्रतिहार आ0 श्री भंवरसिंह जाति मीणा निवासी बिशनपुरा पोस्ट उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :— परोकार सरकार।

दिनांक :— 24/01/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम उमर की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 पटवार मण्डल हल्का उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के खाता संख्या 188 खसरा संख्या1660, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1685, 1689, 1690 कुल किता 09 कुल रकबा 2.5899 हैक्टेयर में विस्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा निहित है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। मार्च 2023 में अपनी कृषि भूमियों का हिस्सा अलग करवाने व सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का से बातचीत की तो पटवारी हल्का ने प्रार्थी के नाम से कोई ख़ाता होना नहीं बताया। इस पर प्रार्थी ने 01.03.2023 को ही जमाबन्दी उपरोक्त खाते की निकलवाई तो पता लगा कि उक्त जमाबंदी में प्रार्थी के नाम के बजाये प्रार्थी का घरेलू नाम दुर्गालाल अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी का सरकारी रिकोर्ड में नाम रामसिंह प्रतिहार है उक्त त्रुटि परिवारजनों द्वारा विरासत का इंतकाल खोलते समय उसका घरेलू नाम दुर्गालाल अंकन करवाया दिया जाने से अंकन होती है। प्रार्थी दुर्गालाल का राम सिंह प्रतिहार एक ही व्यक्ति है। अलग अलग व्यक्ति नहीं है। जमाबन्दी में प्रार्थी का घरेलू नाम बना रहने से प्रार्थी सरकार योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी के पिता भूरा को भी भंवरसिंह के नाम से भी जानते है भूरा सिंह व भंवरसिंह एक ही व्यकित है। न्यायहित में प्रार्थी व उसके पिता का नाम दुरूस्त किया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जाकर दुर्गालाल आ0 भूरा के स्थान पर रामसिंह प्रतिहार आ0 भंवरसिंह दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी बाहर रहता है इस कारण उसको सर्वप्रथम 01.03.2023 को जमाबंदी की नकल लेने पर प्रार्थी का घरेलू नाम दुर्गालाल आ0 भूरा अंकन होने का पता लगा। जानकारी से प्रार्थना पत्र अवधि मध्य पेश है। धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का आवेदन पेश है। भूमिया श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस तलवाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के घरेलू नाम दुर्गालाल आ0 भूरा के स्थान पर रिकॉर्ड में अंकित नाम रामसिंह प्रतिहार आ0 भंवर सिंह दुरूस्त किया जाने की आज्ञा प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अंकित भूमि में दर्ज दुर्गालाल आ भूरा के स्थान पर रामसिंह पुत्र भंवरसिंह किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/24/1098 दिनांक :– 07.06.2024 द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम उमर के खाता संख्या 188 में वर्णित भूमि कुल किता 09 कुल रकबा 2.5899 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर में दर्ज दुर्गालाल पुत्र भूरा के स्थान पर रामसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज करवाना चाहता है। मौके पर उपस्थित सहखातेदारान/मौतबिरानों से जानकारी करने पर बताया गया कि दुर्गालाल पुत्र भूरा व रामसिंह पुत्र भंवरसिंह एक ही व्यक्ति का नाम है, उक्त शुद्धि किए जाने में अपनी सहमति होना बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम रामसिंह पुत्र भवंरसिंह है जिसे दुर्गालाल पुत्र भूरा के स्थान पर मुताबिक प्रार्थना के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, ग्राम पंचायत उमर का प्रमाण पत्र पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज है। प्रकरण में अप्रार्थी जबाव पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 188 खसरा संख्या1660, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1685, 1689, 1690 कुल किता 09 कुल रकबा 2.5899 हैक्टेयर वाके ग्राम उमर पटवार मण्डल उमर तहसील हिण्डोली में दर्ज दुर्गालाल पुत्र भूरा के स्थान पर रामसिंह प्रतिहार पुत्र भंवरसिंह शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 24.01.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

24/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446